कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 230/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 16.06.2026

प्रेस नोट
थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
दिनांक : 16 जून 2026

पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी में हुई चोरी का सफल अनावरण, 02 शातिर चोर गिरफ्तार

चोरी गया स्मार्ट पैनल, यूपीएस, खेल सामग्री एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद, एक अभियुक्त फरार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **थाना तरवां पुलिस** को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना तरवां पुलिस द्वारा **पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.05.2026 को वादी श्री संजय सिंह पुत्र स्व. विजय वर्मा सिंह, प्रधानाचार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना तरवां पर सूचना दी गई कि विद्यालय के कार्यालय एवं प्रयोगशाला का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा स्मार्ट टीवी पैनल, यूपीएस, कार्यालय एवं खेल सामग्री सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी।

गिरफ्तारीबरामदगी का विवरण/-

दिनांक 15/16.06.2026 की रात्रि में उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल मय हमराह क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर आदर्श इण्टर कॉलेज खरिहानी के पीछे स्थित झाड़ियों के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया निम्न सामान बरामद हुआ—

- 01 अदद BENQ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल टीवी (65 इंच)
- 01 अदद यूपीएस
- 01 अदद स्पोर्ट्स किट बैग
- 03 जोड़ी बैडमिंटन रैकेट
- 02 पैकेट शटल कॉक
- 01 अदद प्लास्टिक क्रिकेट बैट
- 03 अदद स्टम्प मय स्टैण्ड
- 01 अदद Zebronics की-बोर्ड
- 01 अदद वायरलेस माउस
- 01 अदद एयरटेल वाई-फाई राउटर
- 02 अदद बैडमिंटन नेट
- 01 अदद बास्केटबॉल
- 05 अदद स्किपिंग रोप
- 01 अदद HDMI केबल
- 01 अदद मॉनिटर केबल

➡ पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा विद्यालय में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. इन्दल यादव पुत्र स्व. हीरा लाल यादव निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।
2. पवन कुमार पुत्र रमेश प्रसाद निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 102/2026, धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अजय यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
3. का0 रत्नेश कुमार सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
4. का0 उपेन्द्र कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक : 16 जून 2026

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर भगाने वाले अभियुक्त को अहरौला पुलिस ने किया गिरफ्तार-

बरामदपुर पुलिया से गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौला पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 08.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0-170/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं जांच से अभियुक्त मोनू पुत्र बुधिराम निषाद निवासी ग्राम लेदौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 16.06.2026 को उपनिरीक्षक उमेश चन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू निषाद पुत्र बुधिराम निषाद निवासी ग्राम लेदौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष को बरामदपुर पुलिया से समय लगभग 07:45 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोनू निषाद पुत्र बुधिराम निषाद, निवासी ग्राम लेदौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 22 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 170/2026 धारा -137(2)/87 BNS थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 उमेश चन्द, का0 अजीत कुमार यादव, का0 पवनेश प्रताप सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक-16.06.2026
थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी में हुई चोरी का सफल अनावरण, चोरी का सामान बरामद

02 शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों रुपये मूल्य के शैक्षणिक एवं खेल सामग्री बरामद

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने दो

अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया शैक्षणिक एवं खेल सामग्री बरामद किया है। एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

घटना का विवरण-

वादी मुकदमा संजय सिंह पुत्र स्व० विजय वर्मा सिंह, प्रधानाचार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 25.05.2026 को थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी गई कि विद्यालय के कार्यालय एवं प्रयोगशाला का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय में रखे स्मार्ट टीवी पैनल, यूपीएस, की-बोर्ड, वाई-फाई राउटर, माउस, खेल सामग्री, गणित किट, पुस्तकें एवं अन्य सामान चोरी कर लिया गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर **थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 102/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

दिनांक 15/16.06.2026 की रात्रि में उपनिरीक्षक कान्ता प्रसाद पाल मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर आदर्श इंटर कॉलेज खरिहानी के पीछे स्थित झाड़ियों के पास से निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

1. **इन्दल यादव पुत्र स्व० हीरालाल यादव**, निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।
2. **पवन कुमार पुत्र रमेश प्रसाद**, निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।

गिरफ्तारी के दौरान एक अन्य अभियुक्त **धर्मेन्द्र यादव पुत्र रामसागर यादव निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़** अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

पूछताछ एवं तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया निम्न सामान बरामद हुआ—

- 01 अदद BENQ कंपनी का 65 इंच इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल टीवी।
- 01 अदद यूपीएस (1 KVA क्षमता)।
- 01 अदद स्पोर्ट्स किट बैग।
- 03 जोड़ी बैडमिंटन रैकेट।
- 02 पैकेट शटल कॉक।
- 01 अदद प्लास्टिक क्रिकेट बैट।
- 03 अदद स्टम्प मय स्टैण्ड।
- 01 अदद जिब्रोनिक्स की-बोर्ड।
- 01 अदद वायरलेस माउस।
- 01 अदद एयरटेल वाई-फाई राउटर।
- 02 अदद बैडमिंटन नेट।
- 01 अदद बास्केटबॉल।
- 05 अदद स्किपिंग रोप।
- 01 अदद HDMI कम्प्यूटर केबल।
- 01 अदद मॉनीटर केबल।

विधिक कार्यवाही

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल, मय हमराह थाना तरवां पुलिस टीम, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक-16.06.2026

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

ऑपरेशन वज्रपात के तहत जीयनपुर पुलिस को मिली सफलता

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं **"ऑपरेशन वज्रपात"** अभियान के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र रखने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

दिनांक 15.06.2026 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा खालिसपुर नहर के किनारे सगड़ी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को समय लगभग 22:25 बजे गिरफ्तार किया । जिसका नाम **आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष** जिसके पास से 01 **तमंचा .315 बोर** तथा 01 **जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0- 266/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव, निवासी- दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र- लगभग 22 वर्ष।

बरामदगी-

01 तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 266/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 124/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 77/2026 धारा 3(1)/2(बी)1 गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 119/2026 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 255/26 धारा 351(3),61(2) बीएनएस थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, मय हमराह पुलिस बल, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट, दिनांक–16.06.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी की शिकार महिला को दिलाई गई राहत, 8,000/- रुपये की धनराशि कराई गई वापस

थाना सिधारी साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई से पीड़िता को मिला न्याय, साइबर अपराधों के प्रति किया गया जागरूक

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस एवं साइबर सेल आजमगढ़ की संयुक्त कार्यवाही से साइबर ठगी की शिकार महिला को उसकी 8,000 रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का विवरण-

आवेदिका मीरा देवी पत्नी चंद्रहास निवासी रामलीला मैदान, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत की गई कि फेसबुक पर भाई का रिश्ता बनाकर अज्ञात साइबर ठग द्वारा उनसे धनराशि प्राप्त कर ली गई। स्वयं के साथ साइबर ठगी होने का आभास होने पर आवेदिका द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई ।

उक्त शिकायत पर थाना सिधारी साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। जांच एवं आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही के उपरांत आवेदिका के खाते में **8,000 रुपये** की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

पुलिस टीम द्वारा आवेदिका को साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी, बैंक विवरण अथवा ओटीपी साझा न करें। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन भुगतान या धनराशि का लेन-देन सोच-समझकर एवं सत्यापन के उपरांत ही करें।

पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार हों तो तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930**, www.cybercrime.gov.in पोर्टल अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन के साइबर हेल्प डेस्क पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 स्मिता गुप्ता, थाना सिधारी, आजमगढ़
2. का0 महेश कुमार, थाना सिधारी, आजमगढ़
3. कां0 पवन गुप्ता, थाना सिधारी, आजमगढ़
4. का0 सोनू कुमार, थाना सिधारी, आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस की अपील:-
सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। साइबर अपराधियों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

प्रेस नोट, दिनांक – 16.06.2026

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

ऑपरेशन वज्रपात के तहत बड़ी कार्रवाई

इंस्टाग्राम पर "गैंगेस्टर प्रभात 50" नाम से गैंग संचालित करने वाले तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने एवं युवकों को भयभीत करने का प्रयास करने वालों पर थाना फूलपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान तथा **"ऑपरेशन वज्रपात"** के क्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना फूलपुर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर "गैंगेस्टर प्रभात 50" नाम से गैंग संचालित करने वाले तीन वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण-

दिनांक 15.06.2026 को वादी मुकदमा अशफाक अहमद पुत्र जैनुद्दीन निवासी नेवादा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि उनका पुत्र मो. सैफ अपने मित्रों मो. अरहान एवं मो. इस्माईल के साथ ग्राम मकदूमपुर, थाना अहरौला से मैच खेलकर रात्रि लगभग 01:00 बजे वापस लौट रहा था। रास्ते में दुर्वाषा धाम के पास तीन व्यक्तियों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल रोककर नाम-पता पूछा गया तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों द्वारा तीनों युवकों को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया गया, जिसमें मो. सैफ किसी प्रकार बचकर निकल गया, जबकि उसके दोनों मित्रों को जबरन अपने साथ ले जाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 202/2026 धारा 126(2)/140(1)/351(3)/352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त प्रभात राय, रिशु एवं विजय के नाम प्रकाश में आए।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 16.06.2026 को व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा अभियुक्त प्रभात राय के घर के बाहर स्थित कुएं के पास से समय 03:55 बजे निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

1. प्रभात राय पुत्र मुकेश चन्द्र राय निवासी धर्मदासपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 29 वर्ष।
2. रिशु पुत्र खुन्नू सोनकर निवासी खुटौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 18 वर्ष।
3. विजय पुत्र सतई सोनकर निवासी खुटौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस की अपील-

आजमगढ़ पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति, भय एवं दबंगई का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत निरंतर कार्रवाई कर रही है। आमजन से अपील है कि ऐसे किसी भी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आपराधिक इतिहास-

1. प्रभात राय पुत्र मुकेश चन्द्र राय साकिन धर्मदासपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष

1-मु0अ0सं0 305/2017 धारा 147/323/354क/504/506 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5क एससी/एसटी एक्ट
2-मु0अ0सं0 202/2026 धारा 129/140(1)/351(3)/352 बीएनएस

2. रिशु पुत्र खुन्नू सोनकर ग्राम खुटौली थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

1-मु0अ0सं0 202/2026 धारा 129/140(1)/351(3)/352 बीएनएस

3. विजय पुत्र सतई सोनकर साकिन खुटौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

1-मु0अ0सं0 202/2026 धारा 129/140(1)/351(3)/352 बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़, उ0नि0 दयानन्द, का0 नीरज कुमार यादव, का0 आदेश यादव, रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार यादव, म0का0 शालू सिंह, रिक्रूट म0का0 सपना सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

थानाकोतवाली -, जनपद आजमगढ़

आपरेशन वज्रपात के तहत अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को अवैध असलहा एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 15.06.2026 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज, उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सिविल लाइन मय हमराह द्वारा अभियुक्त **प्रियांशु मौर्या पुत्र प्रेमचन्द्र मौर्या निवासी हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष** को **प्राइवेट बस अड्डा** से समय करीब 22:40 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 कट्टा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त- प्रियांशु मौर्या पुत्र प्रेमचन्द्र मौर्या निवासी हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 319/2026 धारा 9 /25 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास–
1.मु0अ0सं0 550/25 धारा- 304, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 3/ 26 धारा 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3.मु0अ0सं0 319/26 धारा 9 / 25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी-

01 कट्टा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

विधिक कार्यवाही-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज, उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी सिविल लाइन, कां0 आदित्य कुमार, कां0 अंशुमन सिंह, कां0 अवधेश प्रताप सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट, दिनांक- 16.06.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 14.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त अभिषेक उर्फ करिया पुत्र जमुना यादव निवासी चककालिका थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 238/2026 धारा 76/78/331(4)/351(3) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम अभिषेक उर्फ करिया पुत्र जमुना यादव निवासी चककालिका थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान **"ऑपरेशन वज्रपात"** के क्रम में दिनांक 16.06.2026 को उ0नि0 जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी मय हमराह

द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **अभिषेक उर्फ करिया पुत्र जमुना यादव निवासी चककालिका थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** को समय 09:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम-

उ0नि0 जावेद सिद्दीकी, हे0 का0 रमेश कुमार, रि0 का0 इरफान थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई निरंतर की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 16.06.2026
थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

मकान ध्वस्तीकरण, मारपीट एवं धमकी के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना—

दिनांक 30.03.2026 को वादी मुकदमा सौरभ बिन्द पुत्र राम नयन बिन्द निवासी सरैया खुर्द, पोस्ट अम्बारी, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 22.03.2026 को रात्रि लगभग 09:06 बजे उनके पट्टीदार मिथुन बिन्द के इशारे पर जेसीबी मशीन द्वारा उनके पक्के मकान को गिरा दिया गया, जिसमें चार कमरे, बरामदा एवं सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गए। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 116/2026 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 331(6) बीएनएस बनाम मिथुन बिन्द सहित कुल 06 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है।

वांछित अभियुक्त एवं अभियुक्ता गिरफ्तार-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.06.2026 को प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **नन्दलाल बिन्द पुत्र लहुरी राम बिन्द निवासी मुहम्मदाबाद, पोस्ट कलापुर, थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 26 वर्ष** को बिलारमऊ बॉर्डर के पास से समय 01:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्ता **मनभावती पत्नी राममूरत उर्फ निक्के निवासी ग्राम सरैया खुर्द, पोस्ट अम्बारी, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़** को उसके घर से समय 09:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त एवं अभियुक्ता को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार
- थाना फूलपुर पुलिस टीम, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक 16 जून 2026

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

मिशन बज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर भय का माहौल बनाने वाले दो युवक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित **"मिशन बज्रपात"** अभियान के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, रंगबाजी एवं भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना बरदह पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना एवं प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान ग्राम तम्मरपुर में जांच की गई। जांच में पाया गया कि **ऋषभ कुमार पुत्र राजेश कुमार (उम्र 22 वर्ष)** तथा **आलोक कुमार पुत्र शिवसागर (उम्र 20 वर्ष)** निवासीगण ग्राम तम्मरपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे, जिनसे आम जनमानस में भय एवं अशांति की भावना उत्पन्न हो रही थी तथा क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना थी।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बरदह पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को **मिशन बज्रपात** के तहत दिनांक **16.06.2026** को समय करीब **15:30 बजे** गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध **धारा 170/126/135 बीएनएस** के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सोशल मीडिया पर रंगबाजी एवं गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भय उत्पन्न करने वाली अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री पोस्ट न करें। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

आजमगढ़ पुलिस की अपील

सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक एवं जिम्मेदार तरीके से करें। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, रंगबाजी, गैंग प्रदर्शन अथवा भय फैलाने वाले कंटेंट की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा डायल-112 को दें।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव, रि0आ0 पंकज कुमार यादव थाना बरदह, आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 16.06.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **जेल में बिताई अवधि (08 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (08 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 28.10.2003 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामजीत यादव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त हरेन्द्र सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी वरपुर थाना बक्सा जनपद जौनपुर के कब्जे से 01 अदद अबैध तमन्चा 12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0-319/2003 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 16.06.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरेन्द्र सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी वरपुर थाना बक्सा जनपद जौनपुर **को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (08 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 16.06.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **जेल में बिताई अवधि (08 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास (08 दिवस) व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 28.10.2003 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामजीत यादव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र रामकोमल सिंह निवासी अगरौरा थाना बक्सा जनपद जौनपुर के कब्जे से 1 अदद अवैध तमन्चा व 2 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0-321/2003 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 16.06.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र रामकोमल सिंह निवासी अगरौरा थाना बक्सा जनपद जौनपुर **को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (08 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।